भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 313
उत्तर देने की तारीख: 08.08.2022

विद्यालय न जाने वाले बच्चे

†*313. श्री धनुष एम.कुमार:
श्री गजानन कीर्तिकर:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों और सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के बच्चों का डेटा संकलित करने के लिए एक पोर्टल शुरू किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने 16-18 वर्ष के आयु वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को मुक्त/दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार की आगामी वर्षों में अनाथ बच्चों की शिक्षा जारी रखना सुनिश्चित करने की कोई योजना है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

विद्यालय न जाने वाले बच्चे के संबंध में माननीय संसद सदस्यों श्री धनुष एम.कुमार और श्री गजानन कीर्तिकर द्वारा लोक सभा में पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 313 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (च): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में उपयुक्त सरकार को 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के स्कूल में नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना अधिदेशित है।

इस विभाग ने प्रबंध पोर्टल (http://samagrashiksha.in) पर प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा पहचाने गए स्कूल से बाहर बच्चों (ओओएससी) के डेटा को संकलित करने और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) के साथ उनकी मैपिंग के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल भी तैयार किया है। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ओओएससी को मुख्यधारा में लाने की प्रगति की निगरानी के लिए राज्य के संबंधित ब्लॉक संसाधन केंद्र द्वारा पहचान किए गए ओओएससी और अपलोड की गई एसटीसी की बाल-वार सूचना को सत्यापित करता है।

समग्र शिक्षा के तहत, वर्ष 2021-22 में पहली बार, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह के 16-19 वर्ष के आयु-वर्ग के स्कूल से बाहर बच्चों की सहायता हेतु 2000 रूपए प्रति वर्ष वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई है जिससे वे एनआईओएस/एसआईओएस के माध्यम से अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए पाठ्य-सामग्री और प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकें।

इस योजना के तहत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूल से बाहर बच्चों (ओओएससी) की संख्या को कम करने के लिए विभिन्न गतिविधियों को करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूलों को खोलना/मजबूत करना, स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना,उन्नयन और संचालन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना, प्रारंभिक स्तर पर पात्र बच्चों को मुफ्त वर्दी और मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, परिवहन भत्ता और नामांकन और प्रतिधारण अभियान शुरू करना शामिल है। इसके अलावा, स्कूल से बाहर बच्चों के आयु के अनुरूप प्रवेश के लिए विशेष प्रशिक्षण और बड़े बच्चों के लिए आवासीय के साथ-साथ गैर-आवासीय प्रशिक्षण, स्कूल से बाहर बच्चों को औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में लाने के लिए मौसमी छात्रावासों/आवासीय शिविरों, कार्यस्थलों पर विशेष प्रशिक्षण केंद्रों, परिवहन/एस्कार्ट सुविधा की भी सहायता की जाती है।इसके अलावा, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए छात्र उन्मुख घटक के तहत, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और मूल्यांकन, सहायता और उपकरण, ब्रेल किट और किताबें, उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री और विकलांग छात्राओं को वजीफा आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना अन्य बातों के साथ-साथ कोविड महामारी में अपने माता-पिता (एक या दोनों) खोने वाले बच्चों के लिए अभिसरण दृष्टिकोण, शिक्षा, स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए गैप फंडिंग, 18 वर्ष की आयु से मासिक वजीफा और 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 10 लाख रुपये की एकमुश्त राशि के माध्यम से सहायता प्रदान करती है। पीएम केयर्स के तहत, किसी भी नजदीकी स्कूल यानी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल/केन्द्रीय विद्यालय (केवि)/निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश का भी प्रावधान है।

'प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण' (पीएम पोषण) के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रारंभिक स्तर पर छात्रों को गर्म पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है।

साथ ही, राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को आठवीं कक्षा में उनके ड्रॉप आउट को रोकने और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अध्ययन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

*****